

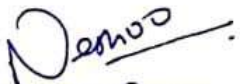
» कार्यालय - सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड मेरठ।

प्रमाण-पत्र

पत्रांक:- 133 / ग्रा0अ0वि0 / ने0बि0को0 / 2022-23 / दिनांक 23-2-2023

1. विद्यालय का नाम:- भविष्य पब्लिक स्कूल, पिलककुआ, जिला हापुड।
2. विकास खण्ड:- धोलाना, जिला-हापुड।
3. पहुँच मार्ग:- है।
4. सेट बैक:- उपलब्ध है।

उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कार्य जी+3 मंजिल का पूर्ण है। आर्कीटेक्ट्स इंजिनियर्स एवं वैल्यूअर द्वारा निर्गत ड्राइंग एवं प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय में प्रशिक्षण कक्षों का निर्माण मानको के अनुसार किया गया है। शासन द्वारा निर्गत सुरक्षा सम्बन्धी बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार विद्यालय का भवन प्रथम दृष्टया नेशनल बिल्डिंग के अनुरूप है।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
मेरठ

Date - 23-2-23

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (MBC)/अग्नि से सुरक्षा सम्बंधी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0सी0 विद्यालय।

(भविष्य पब्लिक स्कूल, पिलाकपुरा, जिला हाफुड)

क्रमांक	सुरक्षा सम्बंधी तत्वोंकी विन्दु	जाँच आय्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बना है।	✓
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है।	✓
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है।	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है।	✓
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी० खुला स्थान है।	✓
6	क्या भवन में पाठन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है भवन में सेट बैक में पार्किंग है।	✓
7	क्या भवन का ऑरिएन्शन ऐसा है कि पर्याप्त एव हवा का सर्कुलेशन है।	✓
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है।	✓
9	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी।	RCC
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं।	✓
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कंक है?	X
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी०) है?	✓
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (गार्डनरीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी० एवं ऊँचाई 4.50 मी० है?	✓
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	✓
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	✓
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.00मी० ऊँचाई 2.0मी०) है?	✓
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है, तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	✓
18	क्या एक मंजिला से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा राइज़र 150 मिमी० है?	✓
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First air Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	✓
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	नहीं
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	✓

अवर अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रदेश-पीलीभीत।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रदेश-पीलीभीत।